

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी- श्री ओ०पी० बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 30/2015

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाध सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

खीमसिंह पुत्र सांवलसिंह
जाति पुरोहित निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:-1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 13.7.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.5.2015 को दोपहर 12.00 बजे प्रार्थी
खाध सुरक्षा अधिकारी के दौरान गश्त मैसर्स हिंगलाज दूध डेयरी जसोल तहसील
पचपदरा पहुंचने पर डेयरी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, नाम व पता पूछने पर
अपना नाम खीमसिंह पुत्र सांवलसिंह जाति पुरोहित निवासी जसोल तहसील पचपदरा
जिला बाड़मेर बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त डेयरी का निरीक्षण
करने पर फ्रीज के एक खण्ड में दूध (गाय का) करीब 35 लीटर आम जनता को विक्रय
करने हेतु रखा हुआ पाया गया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से
दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियों में बराबर मात्रा में
भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 50/- रूपये किया गया। उक्त
प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर
एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर
नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं
स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी 517 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार
सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए,
प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में
लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

स्लीप को कॅस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहों के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार कौ गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-517 जाँच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियों पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैंपल लेते वक़्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया। एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर, सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि पेय पदार्थ दूध (गाय का) नमूना पी-517 की जाँच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/325/एक्ट/2015/325 दिनांक 25.5.2015 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पेय पदार्थ दूध (गाय का) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.517 जाँच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने बावजूद अप्रार्थी के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण की सुनवाई अप्रार्थी की अनुपस्थिति में की जाकर बहस एकपक्षीय सुनी गई।
3. सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 13.5.2015 को मैसर्स हिंगलाज दूध डेयरी जसोल पचपदरा के निरीक्षण के दौरान 35 लीटर दूध (गाय) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। दूध (गाय का) का नमूना पी.517 निर्धारित मानक

कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी खीमसिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी खीमसिंह पर 10000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 13.7.2015 से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओपीओ बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज तारीख 13.7.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर